भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2224
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल

†2224. श्री अरुण भारतीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने परिवारों और व्यक्तियों को आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) कार्ड जारी किए गए हैं और वे इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं;

(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान भारत के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या कितनी है और क्या यह संख्या निर्धारित जनसंख्या-अस्पताल अनुपात को पूरा करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जमुई के लाभार्थियों को प्रदान किए गए उपचार के लिए निपटाए गए दावों का कुल मूल्य कितना है तथा किन-किन प्रमुख बीमारियों के लिए उपचार लिया गया था; और

(घ) सरकार द्वारा व्यापक और सुलभ नकदी रहित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस क्षेत्र में और अधिक विशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, निर्वाचन क्षेत्रवार आँकड़े नहीं, बल्कि ज़िलेवार आँकड़े उपलब्ध हैं। आज तक, जमुई ज़िले में आयुष्मान कार्ड बनाए गए परिवारों और व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 2.94 लाख और 6.63 लाख है।

(ख): आज की स्थिति के अनुसार, जमुई जिले में एबी-पीएमजेएवाई के तहत कुल 16 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है, जिनमें 10 सार्वजनिक अस्पताल और 6 निजी अस्पताल शामिल हैं।

सभी सरकारी अस्पताल जो अंतरंग रोगी सेवाएँ या डे केयर सुविधाएँ प्रदान करते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध माना जाएगा। चूँकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों को पैनलबद्ध करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। इसके अलावा, अस्पतालों को

पैनलबद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है और यह किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (एबी-पीएमजेएवाई मानदंडों को पूरा करने वाले) की आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर की जाती है। भारत सरकार सभी पात्र लाभार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत और अधिक अस्पतालों को पैनलबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान जमुई जिले के लाभार्थियों को प्रदान किए गए उपचारों के लिए 34.38 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया है।

पिछले तीन वर्षों में जिले में जिन प्रमुख बीमारियों के लिए उपचार की मांग की गई, वे मोतियाबिंद, पेचिश, गुर्दे की विफलता (तीव्र और जीर्ण), तीव्र ज्वर रोग और नवजात शिशु परिचर्या हैं।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के पास जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के प्रति सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल प्रदर्शनों, रेडियो अभियानों, जनसंदेश, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थियों के प्रशंसापत्रों के प्रसारण आदि सहित पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, यानी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के व्यापक नेटवर्क को भी शामिल किया है, जो जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, लाभार्थी किसी भी सहायता/प्रश्न के लिए 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं।

अस्पतालों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) ने प्रक्रियाओं की संख्या में वृद्धि (1961) के साथ एक संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) जारी किया है।
ii. दावा निपटान की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर हो।
iii. एनएचए ने अस्पतालों की पैनल प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हॉस्पिटल एंगेजमेंट मॉड्यूल (एचईएम 2.0) का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है।
iv. रियल टाइम के आधार पर उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए एक अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) स्थापित किया गया है।
v. लाभार्थियों और अस्पतालों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से पैनलबद्ध अस्पतालों का दौरा करने के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयाँ (डीआईयू) स्थापित की गई हैं।

*****